**Govt. College For Women, Bawani Khera**
Near Bus Stand, Bawani Khera - 127032
(Affiliated to C.B.L.U., Bhiwani)
AISHE Code : C-55705
Website :- gcwbawanikhera.ac.in
Tel. No. : 01254-233240
email : gcwbawanikherabwn@gmail.com

## विद्यार्थी आचार सहिंता – नियमावली

विद्यार्थियों के लिए नियम अधिकार तथा कर्तव्य

किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर विद्यार्थी स्वम् उतरदायी होंगे।

1. महाविद्यालय परिसर में Ragging पूर्णतया कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। यदि कोई विद्यार्थी Ragging में शामिल पायागया या उसका व्यवहार आक्रमक पाया जाता है तो इस बारे में उसके विरूध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. कॉलेज परिसर में आने पर सर्वप्रथम सूचना-पट्ट अवश्य देखें और आवश्यक निर्देश ध्यान से पढ़ें।
3. कॉलेज परिसर में पहचान पत्र अपने साथ अवश्य रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर दिखा सकें अन्यथा विद्यार्थी को जुर्मानादेना पड़ेगा।
4. खाली समय में वाचनालय एवं पुस्तकालय का सदुपयोग करें।
5. मेंटर ग्रुप मीटिंग में तथा कॉलेज में आयोजित उत्सवों में सम्मिलित होना आवश्यक है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ जुर्माना किया जाएगा।
6. मेंटर आपका संरक्षक है। अपनी किसी भी समस्या के समाधान हेतु मेंटर से सम्पर्क स्थापित करें।
7. कॉलेज के प्रांगण को स्वच्छ रखें। यह आपका प्रांगण है। दीवारों एवं ब्लैक बोर्ड पर अवांछित कुछ भी न लिखें।
8. उद्यान स्वच्छ रखें। कूड़ा कृपया कूड़ादान में डालें।
9. वाहन का रजिस्ट्रेशन नं., ड्राईविंग लाईसेंस व पहचान पत्र में अवश्य दर्ज होना चाहिए अन्यथा महाविद्यालय में वाहन आने नहीं दिया जायेगा।
10. कॉलेज की सम्पति आपकी है, इसको क्षति पहुंचाना अपराध है।
11. यदि कॉलेज के खाली कमरों या बरामदों में पंखे चल रहे हो एवं बिजली के बल्ब जल रहे हों, तो उन्हें बंद करना आपका नैतिक कर्त्तव्य है।

# Govt. College For Women, Bawani Khera

Near Bus Stand, Bawani Khera - 127032

*(Affiliated to C.B.L.U., Bhiwani)*

**AISHE Code : C-55705** **Tel. No. : 01254-233240**

*Website :- gcwbawanikhera.ac.in* *email : gcwbawanikherabwn@gmail.com*


12. यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण वश बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे चाहिए कि तुरंत विधिवत आवेदन पत्र देकर अपना नाम कटवा लें अन्यथा जुर्माना होता रहेगा, जो उसकी प्रतिभूति से काटा जायेगा।

13. कॉलेज छोड़ने के एक वर्ष के भीतर ही आवेदन पत्र देकर अपनी प्रतिभूति ले लेनी चाहिए। विश्वविद्यालय परीक्षा तक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अगले वर्ष जून माह तक अपनी प्रतिभूति प्राप्त कर सकते है अन्यथा वह सरकारी कोष में जमा हो जाएगी। प्रतिभूति वापिस लेते समय पहचान पत्र साथ लाएं।

14. महाविद्यालय में किसी प्रकार की राशि प्राप्त करने के लिए अपने मेंटर के हस्ताक्षर करवाने आवश्यक हैं, चाहे प्रतिभूति का हो या छात्रवृति का।

15. फीस की रसीद संभाल कर रखे। आवश्यकता पड़ने पर रसीद का संदर्भ देना पड़ सकता है।

16. बाहरी व्यक्ति को कॉलेज के समय में विद्यार्थी से मिलने की अनुमति नहीं है, असामान्य स्थिति में प्राचार्य की अनुमति आवश्यक है।

17. हरियाणा सरकार के आदेशों के अनुसार कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में चौपहिया वाहन नहीं ला सकता ।

प्राचार्य

राजकीय महिला महाविद्यालय

बवानी खेड़ा

Govt. College For Women

Bawani Khera (Bhiwani)